

# कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक - 30.10.17 एवं दिनांक - 09.12.17 के अनुसरण में शिक्षा अधिनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक/पदस्थापन स्थान(श्री/श्रीमती/सुश्री)	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सूर्य प्रकाश माहेश्वरी, सप्रअ कार्यालय हाजा	05.04.91	27	L-10	L-11	05.04.18	
2	विजय कुमार अग्रवाल, सप्रअ कार्यालय हाजा	20.04.91	27	L-10	L-11	20.04.18	
3	कैलाश चन्द्र शर्मा, वअ रामावि, लालपुरा, बस्सी, जयपुर I	17.12.90	27	L-12	L-13	17.12.17	
4	गोकुलेन्द्र मिश्रा, वअ राउमावि, रोजदा, आमेर, जयपुर II	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	
5	नत्थूराम सैनी, वअ राउमावि, भाण्डेडा, बांदीकुई, दौसा	17.12.90	27	L-12	L-13	17.12.17	
6	रणवीर सिंह गुर्जर, वअ जिला परियोजना समन्वयक, रमसा, दौसा	11.12.90	27	L-12	L-13	11.12.17	
7	विनोद कुमार शर्मा, वअ रामावि, जौपाडा, दौसा	26.11.99	18	L-11	L-12	26.11.17	
8	शिवराम सिंह, वअ राउमावि, सकट, अलवर I	01.07.99	18	L-12	L-13	01.07.17	
9	परश राम यादव, वअ रामावि, नांगल रानियां, मुण्डावर, अलवर II	11.01.91	27	L-12	L-13	11.01.18	
10	रणवीर सिंह, दहिया, वअ रामावि, सबलगढ बनेटी, मुण्डावर, अलवर II	09.03.2000	18	L-11	L-12	09.03.18	
11	कृष्णवीर सिंह, वअ राउप्रावि, बाढ बलदेवपुरा, चाकसू, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	


उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।


उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तू0वे0श्रू0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

  
उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग, जयपुर  
दिनांक 23-04-2018

क्रमांक-शिउनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-एसीपीलेवल/ 02/2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को उनके द्वारा प्रेषित कार्मिकों/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए निवेदन है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के कार्मिक के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम-द्वितीय, जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

  
उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग, जयपुर